<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 249/13

संस्थापन दिनांक : 03.05.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

गोविन्दसिंह पुत्र बुद्धसिंह जाट उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम उझावल थाना मौ जिला भिण्ड

– अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

- 1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 336, 506 भाग दो भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 21.04.13 को 15:30 बजे या उसके लगभग ग्राम उझावल स्थित अपने घर के सामने लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी यशंवत जोगी अ0सा01, रचना अ0सा02, पूजा अ0सा03 तथा अनारश्री (मृत) को क्षोभ कारित किया तथा उपेक्षा या उतावलेपन से फायर कर फरियादी यशंवत जोगी अ0सा01, रचना अ0सा02, पूजा अ0सा03 तथा अनारश्री का मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा फरियादीगण को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2. अभियोजन मामला सक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.04.13 को दिन के करीब साढ़े तीन बजे फरियादी यशवंत जोगी अ0सा01 अपने गांव उझावल से बाजार करने के लिए मौ जा रहा था तो रास्ते में सेवा कोरी ब0सा02 के मकान पर आरोपी गोविन्द जाट बैठा दिखा तथा आरोपी ने उसे रास्ते में रोक लिया तथा उससे गाली देते हुए कहा कि तू मेरी शिकायत करता है तुझे देखता हूं तब वह वापिस अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी को बताया तो उसकी पत्नी अनारश्री व लड़की रचना अ0सा02 व पूजा अ0स03 शिकायत करने आरोपी के घर पहुंचे तो उन्हें देखकर आरोपी गोविन्द अपने मकान की छत पर चढ़ गया और गाली देते

हुए बोला कि तुम लोग यहां घर पर आ गये और फायर कर दिया जिससे उन लोगों का जीवन संकट में पड़ गया और दीवाल की आड़ लेकर उन्होंने अपनी जान बचाई। आरोपी गोविन्द गाली देते हुए बोला कि आज तो बच गये आइन्दा मिलने पर जान से खतम कर देंगें। तत्पश्चात फरियादी यशवंत जोगी अ०सा०1 ने थाना मौ में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी—1 दर्ज कराई जिस पर आरोपी के विरुद्ध अप०क० 58/13 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

- अारोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :—
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 21.04.13 को 15:30 बजे या उसके लगभग ग्राम उझावल स्थित अपने घर के सामने लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी यशंवत जोगी अ0सा01, रचना अ0सा02, पूजा अ0सा03 तथा अनारश्री को क्षोभ कारित किया ?
 - 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उपेक्षा या उतावलेपन से फायर कर फरियादी यशंवत जोगी अ0सा01, रचना अ0सा02, पूजा अ0सा03 तथा अनारश्री का मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
 - 3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादीगण को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

//विचारणीय प्रश्न कमांक ०१ लगायत ०३ का सकारण निष्कर्ष//

- 5. यशवंत जोगी अ०सा०1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 22.06.15 से ढाई वर्ष पूर्व चैत्र माह में दिन के तीन बजे वह ग्राम उझावल से पैदल मौ के लिए जा रहा था तब ग्राम उझावल के बाहर सेवा कोरी ब०सा०2 के मकान पर आरोपी गोविन्द ने उसे गालियां दीं और कहा कि वह उसकी मां चोद देगा उसकी लड़की भगा लेगा और जान से खतम कर देगा। फिर वह अपने घर वापिस आ गया और पप्पी, अनारश्री को घटना के बारे में बताया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि वह आरोपी के घर जाकर बोल देगी तब वह और उसकी पत्नी अनारश्री गोविन्द के घर पहुंचे तो वह छत की अटरिया पर चढ़ गया और गालियां देने लगा और उसके उपर बंदूक चला दी वह गोली चलने से भयभीत हो गया था इसलिए वह कुंए की आड़ में छिप गया। तब रचना अ०सा०2 और पूजा अ०सा०3 आ गये जिन्होंने उसे घर जाने को कहा। फिर वह नहीं रूका और चला गया। उसने थाने पर जाकर रिपोर्ट प्र०पी—1 की थी। जिसके 3—4 दिन बाद पुलिस ने मौके पर आकर जांच की और नक्शामीका बनाया और उसके तथा उसकी पत्नी और बच्चों के बयान लिए थे।
- 6. रचना अ०सा०३ ने कथन किया है कि यशवंत अ०सा०१ उसका पिता है। दिनांक 10.09.15 से दो—ढाई वर्ष पूर्व आरोपी गोविन्द उसकी बहन सीमा ब०सा०१ को भगाकर ले गया था और फिर गांव लौटकर आ गया तब उसके पिता

मौ जा रहे थे तब गांव के बाहर सेवा ब0सा02 के मकान पर गोविन्द ने उसके पिता को घेर लिया और जब उसके पिता घर लौटकर आये फिर वह गोविन्द के घर शिकायत करने गये थे। तब गोविन्द छत पर चढ़कर गाली देने लगा और कहा कि यहां से चले जाओ फिर गोविन्द ने छत पर चढ़कर उन चारों के उपर गोली चलाई तब वह दीवाल की ओट में छिप गये। गोली चलने से वह लोग भाग आये थे। उसके बाद उसके पिता रिपोर्ट करने चले गये थे जिसके 4–5 दिन बाद पुलिस ने उसके बयान लिए थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि गोविन्द ने बोला था कि मादरचोद आज तो बच गये आइन्दा जान से खतम कर देंगें।

7.

पूजा अ0सा03 ने कथन किया है कि उसे घटना का समय नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि गांव के बाहर कोरी के मकान पर गोविन्द बैठा था। जिसमें उसके पिता यशवन्त अ0सा01 को रोका और गन्दी गालियां बकी इसके बाद उसके पिता घर आ गये और उसे व उसकी मां को घटना के बारे में बताया तब वह गोविन्द के घर कहने गये थे परन्तु वहां क्या हुआ उसे नहीं पता। गोविन्द ने छत पर चढकर उसके पिता से कहा था कि जान बचाना हो तो भाग जाओ और फिर फायर किया था। तब वह दीवाल के पास छिप गये और घर आ गये फिर वह तथा उसके पिता रिपोर्ट करने मौ चले गये फिर 3–4 दिन बाद पुलिस ने उनके बयान लिए थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि वर्ष 2013 में दो—ढाई वर्ष पूर्व की घटना है। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी ने कहा था कि मादरचोद आज तो बच गये आइन्दा जान से खतम कर देंगें। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि फायर करने से उनका जीवन संकट में पढ़ गया था।

प्रकरण में अभियोजन साक्षी अनारश्री की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप अभियोजन उसे साक्ष्य में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है।

यशवंत अ0सा01 नें प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में स्वीकार किया है कि सीमा ब0सा01 उसकी पुत्री है जिसको आरोपी गोविन्दसिंह भगाकर ले गया है और गोविन्दिसंह की शादी सीमा ब0सा01 के साथ हो गयी है। यह भी स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री का प्रथम विवाह उसने कल्लू के साथ किया था और उसकी पुत्री शादी के बाद एक साल तक उसी के यहां रही और इस सुझाव से इंकार किया है कि वह सीमा ब0सा01 की गोविन्द से शादी के खिलाफ था। यशवंत अ0सा01 नें कथन के पैरा 4 में इंकार किया है कि उसने आरोपी को गालियां देकर कहा था कि उसने उसकी पूत्री को रख लिया है। रचना नें प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में स्वीकार किया है कि सीमा ब0सा01 उसकी बहन है जिसने आरोपी गोविन्द से विवाह कर लिया है और उसके पिता ने सीमा के भागने की रिपोर्ट पुलिस में की थी। साक्षी सीमा ब0सा01 ने कथन किया है कि फरियादी यशवन्त अ0सा01 उसका पिता है और आरोपी गोविन्द उसका पति है जिसके साथ वह तीन वर्ष से रह रही है। उसके पिता से उसके संबंध नहीं है इसलिए रंजिश के कारण उसके पिता ने गोविन्द के खिलाफ झूटी रिपोर्ट की है। गोविन्द और यशवंत अ०सा०१ का घर 4–6 घर की दूरी पर है परन्तु गोविन्द ने यशवंत अ०सा०1 की मारपीट नहीं की। अतः फरियादी युशवंत अ०सा०१ की पुत्री सीमा ब०सा०१ के द्वितीय विवाह आरोपी द्वारा किया गया है। यद्यपि यशंवत अ०सा०१ ने विवाह से विरोध करने से इंकार किया है परन्त यह भी स्पष्ट कथन नहीं किया है कि उसने विवाह के लिए

सहमित दी है उसकी पुत्री रचना अ०सा०३ ने विवाह के कारण यशवंत अ०सा०१ द्वारा आरोपी की रिपोर्ट करना भी बताया है। अतः बचाव पक्ष के इस प्रतिरक्षण को बल प्राप्त होता है कि फरियादी यशवंत अ०सा०१ अपनी पुत्री द्वारा आरोपी से विवाह किए जाने से रूष्ट होकर यह कार्यवाही की गयी है। यद्यपि सीमा ब०सा०१ आरोपी की हितबद्ध साक्षी है परन्तु वह फरियादी की भी पुत्री है। अतः उसकी साक्ष्य महत्वपूर्ण स्थान रखती है और आरोपी द्वारा उसके पिता के साथ घटना कारित किए जाने के तथ्य से इंकार किए जाने के मुख्यपरीक्षण में दिए कथन प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे हैं।

यशवन्त अ०सा०१ नें प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में कथन किया है कि 10. उसका और सेवा कोरी ब0सा02 का घर 5–6 मीटर की दूरी पर है। सेवा कोरी ब0सा02 के घर के आसपास किसी का मकान नहीं है। यशवन्त अ0सा01 नें प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में कथन किया है कि सेवा कोरी ब0सा02 घटना के समय ६ ार के अंदर बैठा था और रोड के किनारे ही उसका घर है। रचना नें प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बताया है कि सेवा कोरी ब0सा02 के मकान में घटना के समय सेवा कोरी ब0सा02 व गोविन्द बैठे थे। बचाव साक्षी सेवाराम ब0सा02 ने कथन किया है कि वह आरोपी गोविन्द और फरियादी यशवन्त अ0सा01 को जानता है। उसका ६ ार ग्राम उझावल से आधा कि0मी0 दूर गांव के बाहर है परन्तू तीन वर्ष पूर्व उसके घर के दरवाजे पर कोई झगड़ा नहीं हुआ था। सेवाराम ब0सा02 ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट दिनांक बताने में असमर्थता व्यक्त की है और उसे इस आशय के सुझाव भी दिए गए हैं कि वह तीन वर्ष पूर्व कब घर से बाहर गया था कब आया था उसे याद नहीं है। उक्त तथ्य इसलिए तात्विक नहीं है क्योंकि स्वयं यशवंत अ०सा०१ ने घटना के समय सेवा कोरी ब०सा०२ का उसके घर पर होना बताया है। अतः जबिक अभियोजन का ही साक्षी बचाव साक्षी की उपस्थिति ध ाटनास्थल के पास बता रहा है तब सेवा ब0सा02 की उपरिथति अन्यत्र नहीं मानी जा सकती है। उक्त साक्षी भी घटनास्थल का साक्षी है। अतः महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसके द्वारा अपने घर के समक्ष किसी घटना के होने से इंकार किया है। अतः सेवा कोरी ब0सा02 के कथन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है।

11. यशवंतिसंह अ०सा०१ नें प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में कथन किया है कि गोविन्दिसंह के मकान के पास चतुरिसंह, कुल्लू मेहते व हरीराम सरपंच का मकान है। रचना अ०सा०२ नें प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में कथन किया है कि गोविन्द के घर के आसपास उसकी बिरादरी के लोगों के मकान है और जब गोविन्द ने गालियां दी थी तब बिरादरी के लोग थे परन्तु उनके नाम वह नहीं जानती। आरोपी घर में से गाली दे रहा था। अभियोजन मामले में सभी नातेदार साक्षियों का परीक्षण कराया गया है। अतः जबिक यशवंत अ०सा०१ व रचना अ०सा०२ ने घटनास्थल पर अन्य आसपडौस के लोगों की उपस्थिति बतायी है तब उक्त स्वतंत्र साक्षियों के कथन का अभाव अभियोजन स्पष्ट नहीं कर सका है।

यशवंत अ०सा०१ नें प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में कथन किया है कि वह मौ के लिए अकेला जा रहा था उसके साथ पुत्रियां नहीं थी। रचना अ०सा०२ ने भी पैरा 3 में स्वीकार किया है कि वह अपने पिता के साथ नहीं गयी थी और उसके सामने उसके पिता को गोविन्द ने नहीं गिराया था। पूजा अ०सा०३ ने भी पैरा 3 में बताया है कि वह सेवाराम कोरी ब०सा०२ के मकान पर नहीं थी उसे घर आकर

उसके पिता ने घटना के बारे में बताया था और उसके पिता ने बताया था कि सेवाराम ब0सा02 के मकान पर आरोपी ने मां—बहन की गालियां दी थी वह गोविन्द के मकान पर भी शिकायत करने नहीं गयी उसके पिता अकेले थे और गोविन्द के मकान पर क्या घटना हुई उसे जानकारी नहीं है। अतः सेवाराम ब0सा02 के घर के समक्ष हुई घटना का एकमात्र साक्षी स्वयं यशवंत अ0सा01 ही है और रचना अ0सा02 व पूजा अ0सा03 उक्त घटना के साक्षी नहीं हैं और पूजा अ0सा03 ने गोविन्द के घर पर हुई घटना के समय भी स्वयं को उपस्थित होने से इंकार किया है जबिक यशवंत अ0सा01 ने पूजा अ0सा03 का भी घटनास्थल पर आना बताया है जिससे पूजा अ0सा03 द्वारा ही यशवंत अ0सा01 के कथन का खण्डन कर उसकी सत्यवादिता प्रभावित की है।

- 13. यशवंत अ०सा०१ नें प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में कथन किया है कि उसने रिपोर्ट प्र0पी—1 में लिखा दिया था कि वह कुंए की आड़ में छिप गया था लेकिन रिपोर्ट प्र0पी—1 में दीवार की आड में छिपना बताया है जिस लोप को वह स्पष्ट नहीं कर सका है।
- 14. यशवंत अ0सा01 नें प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में बताया है कि उसने रिपोर्ट प्र0पी-1 में बंदूक से फायर करना लिखा दिया था लेकिन रिपोर्ट प्र0पी-1 में मात्र फीयर किया जाना उल्लिखित है और बंदूक शब्द का लोप यह साक्षी स्पष्ट करने 🐠 में असमर्थ रहा है। इस साक्षी के पुलिस कथन प्र0डी–1 में भी लेख है कि वह यह भी नहीं देख पाया था कि फायर किस हथियार से किया है उक्त कथन को लिखाये जाने से इस साक्षी ने इंकार किया है। यद्यपि फायर करने का सामान्य आशय बंदूक से फायर करने का ही निकाला जाता है परन्तु उक्त विरोधाभास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायालयीन साक्ष्य में यशवंत ने बंदूक से फायर करना बताया है लेकिन पुलिस कथन प्र0डी-1 में स्पष्ट लिखा है कि किस वस्त् से फायर किया वह नहीं देख पाया था प्रकरण में कोई आयुध भी जप्त नहीं हुआ है। अतः आरोपी आयुधधारणकर्ता है। इस संबंध में भी अभियोजन ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः धारा 336 भा.द.स. के आरोप के लिए उक्त तथ्य महत्वपूर्ण विरोधाभास की श्रेणी में आता है। अतः जबकि विवेचना के चरण पर आयुध ही ज्ञात नहीं था और न ही अभियोजन द्वारा आरोपी से कोई आयुध प्राप्त किया गया तब विचारण के चरण पर प्रथम बार एकाएक आयुध कैसे ज्ञात हो गया यह स्पष्ट नहीं होता है।
- 15. यशवंत अ०सा०1 नें प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में कथन किया है कि वह तीन बजे सेवा कोरी ब०सा०2 के यहां पहुंचा था और 3:10 बजे गोविन्द के यहां पहुंचा था। रचना अ०सा०2 नें प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में कथन किया है कि उसके पिता सेवा कोरी ब०सा०2 के घर पर चार बजे पहुंच गये थे और पैरा 4 में बताया है कि गोविन्द के घर पर पांच बजे गये थे इससे पहले नहीं गये। अतः घटना के समय के संबंध में यशवंत अ०सा०1 और रचना अ०सा०2 के कथन में विरोधाभास है। जबिक उक्त दोनों ही प्रत्यक्ष साक्षियों का अभियोजन द्वारा परीक्षण कराया गया है।
- 16. रचना अ०सा०२ नें प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में स्वीकार किया है कि उसने मुख्यपरीक्षण में जान से मारने की धमकी देने वाली बात नहीं लिखाई। यशवंत अ०सा०१ ने भी ऐसा कथन नहीं किया है कि आरोपी ने उसके घर पर उसे जान से मारने की धमकी दी है। पूजा अ०सा०३ गोविन्द के घर पर उपस्थित होना

प्रमाणित नहीं हुई है। अतः आरोपी द्वारा आपराधिक अभित्रास किए जाने के संबंध में अभियोजन ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। यशवंत अ०सा०१ ने सेवाराम ब०सा०२ के घर के समक्ष आरोपी के द्वारा जान से मारने की कहना बताया है। परन्तु ऐसा कथन नहीं किया है कि वह भयभीत हुआ हो अथवा संत्रासित हुआ हो ।

17. यशवंत अ०सा०१ ने सेवाराम ब०सा०२ के घर के समक्ष आरोपी द्वारा गाली दिया जाना बताया है। गोविन्द के घर के सामने की घटना जिसके संबंध में विचारण किया जा रहा है पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि आरोपी ने क्या गालियां दी थी जिससे स्पष्ट हो सके कि आरोपी द्वारा दी गयी गालियां अश्लील थी और क्षाभ करने के लिए पर्याप्त थीं। रचना अ०सा०२ ने स्पष्ट कथन किया है कि आरोपी घर के अंदर से गालियां दे रहा था और न्यायालयीन कथन में उसने भी स्पष्ट किया है कि आरोपी ने क्या गालियां दी मात्र सुझाव में स्वीकार किया है कि आरोपी ने मादरचोद कहा था। अतः जबकि आरोपी द्वारा घर के अंदर गाली दी गयी हो तब वह सार्वजनिक स्थान की श्रेणी में नहीं आता है। रचना अ०सा०२ ने भी यह कथन नहीं किया है कि उसे क्षोभ हुआ हो।

18. यशवंत अ०सा०1 एवं रचना अ०सा०2 ने मुख्यपरीक्षण में स्वयं के उपर गोली चलाया जाना बताया है जबकि एफ.आई.आर. प्र०पी—1 में मात्र फायर किया जाना बताया है और स्वयं पर फायर किए जाने के तथ्य नहीं बताये हैं। अतः न्यायालयीन साक्ष्य में अतिरंजनापूर्ण साक्ष्य दी गयी है। बंदूक से फायर किए जाने के संबंध में भी उपरोक्तानुसार प्र०पी—1 व प्र०डी—1 में महत्वपूर्ण लोप स्पष्ट हुए है जो स्पटतःविहीन रहे हैं। आरोपी से कोई आयुध या घटनास्थल से कारतूस आदि भी जप्त नहीं हुए हैं। अतः न्यायालयीन साक्ष्य में उपेक्षापूर्वक गोली चलाने के स्थान पर फरियादीगण द्वारा स्वयं पर ही आरोपी द्वारा गोली चलाया जाना बताकर अभियोजन मामले से भिन्न साक्ष्य दी है और अपराध को बढ़ाकर प्रस्तुत किया है। अतः उपेक्षापूर्वक गोली चलाये जाने के तथ्य भी अभियोजन द्वारा विश्वसनीय रूप से प्रमाणित नहीं किए गए हैं।

अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से यह सिद्ध होता है कि फरियादी व 19. आरोपी के मध्य फरियादी की पूत्री के विवाह को लेकर पारिवारिक विवाद है जिससे मिथ्या परिवाद की संभावना सबल होती है। घटनास्थल का स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति उपरांत भी कोई स्वतंत्र साक्षी अभियोजन द्वारा वर्णित नहीं किया गया है। सेवाराम ब0सा02 के घर के समक्ष हुई घटना का एक मात्र साक्षी यशवंत अ०सा०1 ही है परन्तु सेवाराम ब०सा०2 द्वारा विश्वसनीय साक्ष्य से सेवाराम ब०सा०2 के घर के समक्ष कोई घटना घटित होने से इंकार किया है। आपराधिक अभित्रास व लोकस्थान पर आरोपी द्वारा अश्लील शब्द कहे जाने के अपराध के आवश्यक तथ्यों का ही अभियोजन मामले में लोप है। उपेक्षापूर्वक आरोपी द्वारा बंदूक चलाये जाने के तथ्य भी अभियोजन साक्ष्य से विश्वसनीय रूप से प्रमाणित नहीं हुए हैं। अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 21.04.13 को 15:30 बजे या उसके लगभग ग्राम उझावल स्थित अपने घर के सामने लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी यशंवत जोगी अ०सा०१, रचेना अ०सा०२, पूजा अ०सा०३ तथा अनारश्री (मृत) को क्षोभ कारित किया तथा उपेक्षा या उतावलेपन से फायर कर फरियादी यशंवत जोगी अ०सा०१, रचना अ०सा०२, पूजा अ०सा०३ तथा अनारश्री का मानव जीवन

7

संकटापन्न कारित किया तथा फरियादीगण को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 20. परिणामतः आरोपी गोविन्द को धारा 294, 336, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 21. आरोपी के जमानत व मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।
- 22. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

STIMEN PARTY PARTY